रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1957] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2016/श्रावण 14, 1938
No. 1957] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2016/SRAVANA 14, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2016

का.आ. 2628(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेंज अभयारण्य और तीर्थन अभयारण्य आते हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला से लगभग 240 किलोमीटर और कुल्लू जिले के कुल्लू से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह 1615.40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और, अभयारण्य में पाई जाने वाली प्रमुख प्रजातियों में वेस्ट्रेन ट्रागोपन, हिमालयन मोनाल, चीर फेसंट, कलीज, गोराल, कोकलाश, कस्तूरिका मृग, नीलगाय, हिमालयन थार, साह, सामान्य तेंदुआ, हिमालयन काला भालू, भूरा भालू, येलो थ्रोटेड मारटेन और सूरज भगत आदि हैं ;

और, शंकुवक्षों में देवदार, ब्लू पाइन, साइप्रेस, चिलपाइन, सिल्वर फर, स्प्रूस और टैक्सस हैं तथा चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियों में क्यूरकस इनकाना, क्यूरकस डेलटाटा, क्यूरकस सेमीकारफिफोलिया, केल्टि ओस्ट्रानिय, हार्स केस्टनट, वालनट, मापले, प्रूनस, अल्डेर, ब्रीच,

अश, केडरेल्ला सेर्राटा, पोपुलुस, सालिक्स हैं और बालछड़, धूप, ग्लेओड, गुच्छी, हाथपंजा कारु, मेहदी निहानू पाटिश और शिगली मीगली वाणिज्यिक मूल्य कुछ जड़ी बूटियां हैं ;

और, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेंज अभयारण्य और तीर्थन अभयारण्य आते हैं, के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेंज अभयारण्य और तीर्थन अभयारण्य आते हैं, की सीमा के चारों ओर के 500 मीटर से 6 किलोमीटर तक के क्षेत्र को वीर पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेंज अभयारण्य और तीर्थन अभयारण्य आते हैं, के चारों ओर के 6 किलोमीटर तक के विस्तार तक का 417 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, सिवाय पूर्वी दिशा, उत्तर पूर्वी दिशा और उत्तरी दिशा के, क्योंकि इन दिशाओं में तीन अभयारण्य, अर्थात रुपी भाभा वन्यजीव अभयारण्य, पिन वेली राष्ट्रीय उद्यान और कनवर वन्यजीव अभयारण्य, जुड़े हुए हैं, पारिस्थितिक संवेदी जोन होगा और उस जोन की सीमा के ब्यौरे **उपाबंध I** में दिए गए हैं।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले 187 ग्रामों की सूची और उनके जी.पी.एस. निर्देशांक **उपाबंध II** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा के ब्यौरे और अक्षांश तथा देशांतरों के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में संलग्न है।

(4) जी.पी.एस. निर्देशांक **उपाबंध IIIक** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन;
(iii) शहरी विकास;
(iv) पर्यटन;
(v) नगरपालिक;
(vi) राजस्व;
(vii) कृषि;
(viii) हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;
(ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 10, 20, 26, 36 और 37 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिक अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और सुदृढ़ बनाना;
(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;
(iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुविधाएं भी हैं; और
(v) वर्षा जल संचयन:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों** - आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के राजस्व और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेंज अभयारण्य और तीर्थन अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(आ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना जि.एस. आर 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां –

(क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(4)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(5)	नए वृहत तापीय और जल-विद्युतीय परियोजना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	मछली पकड़ना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।

(9)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण (सतही और भूमिगत जल) अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ,एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी | परन्तु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने रिहायशी उपयोग के लिए अपनी भूमि पर सन्निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी | (ख) परन्तु यह और कि प्रदूषण न कारित करने वाले लघु उद्योगों से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलापों को विनियमित किया जाएगा और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हैं, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा के साथ न्यूनतम तक रखा जाएगा | (ग) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होगे।
(12)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे वायुयान, गर्म वायु गुब्बारों का राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे |
(13)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव ठोस अपशिष्ट का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे |
(14)	वायु और यानीय प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(15)	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे |
(16)	भू-जल उत्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।

		(ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना अनुदेशों का पालन किया जाएगा |
(18)	जैव निम्नीकरण पदार्थों का पुनःचक्रण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	विद्युत लाईनों का रोधन।	भूमिगत केबल डालने का बढावा दिया जाना।
(20)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
(21)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर वन्यजीव के मुक्त संचरण के लिए, होटल या अन्य वाणिज्यिक स्थापना अपनी संपत्तियों को कंटीले तार से घेराबंदी नहीं करेंगे और कोई भी घेराबंदी 1 मीटर से ऊंची नहीं होगी । इस अनुबंध का पालन न करने वाले किसी विद्यमान घेराबंदी को आंचलित महायोजना में वर्णित समय-सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
(22)	कृषि प्रणाली में प्रबल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(23)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	रात्रि में यानिक परिवहन का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग A	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(27)	काष्ठरहित वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(28)	ट्रैकिंग और कैंप लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(29)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	जब तक आंचलिक महायोजना के अधीन अनुज्ञात न किया जाए जब तक 1 से 10 मीटर के पहाड़ी ढलानों पर और किसी नदी तट और प्राकृतिक नाले से 100 मीटर तक कोई संन्निर्माण क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा।
(31)	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(32)	पारिस्थितिक-पर्यटन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(33)	चालू कृषि पद्धतियां, वृक्षारोपण और अन्य वानिकी संबंधी क्रियाकलाप ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(34)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(35)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(36)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(37)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(38)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(39)	वृक्षारोपण और अन्य वानिकी संबंधी क्रियाकलाप ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(40)	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(41)	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी तीन साल के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(i) वन संरक्षक, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान -अध्यक्ष ;

(ii) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक तीन की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य;

(iii) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक तीन की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ – सदस्य;

(iv) हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि – सदस्य;

(vi) प्रभागीय वन अधिकारी, रामपुर – सदस्य;

(vii) प्रभागीय वन अधिकारी, एनी – सदस्य; – सदस्य;

(viii) राज्य जैव विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि -सदस्य;

(ix) प्रभागीय वन अधिकारी, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, शमशी - सदस्य-सचिव।

निर्देश निबंधन

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(9) इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/13/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेंज अभयारण्य और तीर्थन अभयारण्य आते हैं, का सीमा विवरण

उत्तर:- सीमा कुल्लू और लहोल की जिला सीमा से आरंभ होकर और स्पीति श्रेणी में विभाजित मलाना नाला और तोस नारा सीमा कुल्लू और लहोल जिला सीमा के साथ और सारा उमगा पास के ऊपर स्पीति एस.ओ.आई निर्देशचिन्ह 5539 मीटर, 5890 मीटर, 5595 मीटर की ओर मुड़ती है।

पूर्व:- सीमा सारा उमगा पास सीमा से आरंभ होकर कंवर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के एस ओ आई निर्देशचिन्ह 4768 मीटर के ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा के साथ मुड़कर और सीमा पुनः दराशर के उत्तर पूर्वी भाग ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा से आरंभ होती है।

थाच सीमा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की पश्चिमी सीमा, सैनज नदी एस ओ आई निर्देशचिन्ह 1890 मीटर के सैनज वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी सीमा की ओर मुड़ती है इसके बाद सीमा ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी सीमा की ओर मुड़कर, तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य की पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी सीमा और गुशु पिशु के ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की दक्षिणी सीमा, सीमा दनपल एस ओ आई निर्देशचिन्ह 5322 मीटर के ऊपर शिमला और केन्नोर की जिला सीमा की ओर मुड़ती है।

दक्षिण:- सीमा दनपल एस ओ आई निर्देशचिन्ह 5322 मीटर से आरंभ होकर सीमा छोटे नाले की निचली धारा के साथ मुड़कर और 4600 मीटर रुपरेखा के साथ जुड़कर कुल्लू और शिमला की जिला सीमा की रुप रेखा साथ मुड़ती है, सीमा जिला सीमा के साथ मुड़कर, दान्दा संरक्षित वन की पूर्वी सीमा उमली गड़ के साथ जुड़कर इसके बाद कुंशा के 4000 मीटर रुपरेखा, गड़ारोपा पथ के साथ मुड़कर इसके बाद इसके बाद सीमा छोटे नाले के साथ निचली धारा के साथ मुड़कर और 3200 मीटर की रुपरेखा के दवरीदन्दा संरक्षित वन के पूर्वी और दक्षिणी को जोड़कर और इसके बाद 3000 मीटर की रुप रेखा की ओर जाती है और रछोखरी संरक्षित वन की उत्तरी सीमा को जोड़कर सीमा बसेलियो पास, रछोखरी संरक्षित वन की पश्चिमी सीमा की ओर मुड़कर, जैनजाई गलु के ऊपर बसेलियो संरक्षित वन बंग संरक्षित वन की दक्षिणी सीमा और शिरदुंगा संरक्षित वन, भुनजत संरक्षित वन की ओर जाती है।

पश्चिम:- सीमा जेनजई गलु से आरंभ होकर सीमा पलचन गड़ से जुड़कर छोटरी नाला के साथ निचले धारा ओर मुड़कर पचलन गड़ से गुशानी के साथ निचली धारा की ओर मुड़कर तीर्थन नदी से जुड़ती है, तीर्थन नदी और कलवारी नाला के नदी संगमों साथ निचली धारा की ओर जाती है सीमा कलवारी नाला से थानीगलु के साथ ऊपर की ओर मुड़कर सीमा नुहारा गड़ के साथ निचली धारा की ओर मुड़कर सैनज नदी और जीवानाला के संगमों से सैनज नदी जुड़ती है सीमा शरण ग्राम सीमा के पश्चिमी जीवानाला के साथ ऊपर की ओर मुड़ती है सीमा रेहाला ग्राम की उत्तर पूर्व सीमा के छोटे नाला के ऊपर की ओर मुड़कर सीमा श्रेणी और टीवा संरक्षित वन की पश्चिमी सीमा के एस ओ आई 3236 मीटर के ऊपर की ओर मुड़कर सीमा श्रेणी के एस ओ आई निर्देशचिन्ह 3324 मीटर, लरुधर एस ओ आई निर्देशचिन्ह 3592 मीटर, कसल धर, एस ओ आई निर्देशचिन्ह 3445 मीटर, दराशर धर के साथ दराशर के उत्तर पूर्वी भाग के ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के पश्चिमी सीमा की ओर मुड़ती है। सीमा पुनः एस ओ आई निर्देशचिन्ह 4768 मीटर से आरंभ होकर सीमा श्रेणी से नीचे की ओर मुड़कर और जिगरल नल से जुड़कर 4200 मीटर रुपरेखा की निचली धारा की ओर मुड़ती है इसके बाद सीमा रुपरेखा के पीछे सराजी थच और धारा थच के बीच छोटे नाले के साथ निचली धारा की ओर मुड़कर पारबती नदी से जुड़ती है और सीमा धारा थच के छोटे उत्तरी भाग के पारबती नदी के साथ ऊपर की मुड़कर सीमा नाला के ऊपर की ओर मुड़ती है इसके बाद रुपरेखा के 3400 मीटर की ओर जाती है और तोश नाल से जुड़कर छोटे नाल के साथ निचली धारा की ओर जाती है सीमा वन शील थच के पश्चिमी भाग के तोश नाल के साथ ऊपर की ओर मुड़कर इसके बाद सीमा एस ओ आई निर्देशचिन्ह 4519 मीटर के छोटे नाले के साथ ऊपर की ओर मुड़कर सीमा धार एस ओ आई निर्देशचिन्ह 5003 मीटर पापी धरमी चुरा, एस ओ आई निर्देशचिन्ह 5429 मीटर अली रतनी धाद, अली रतनी तिब्बा, एस ओ आई निर्देशचिन्ह 5313 मीटर, 5064मीटर, 5269मीटर, 5486मीटर, 5524मीटर के साथ मुड़कर कुल्लू एवं लहुल एवं स्पीति के जिला सीमा पर विभाजित मलाना नाला और तोश नाला के विभाजित जलग्रहण क्षेत्र तक जाती है।

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का वर्णन

क्र. सं.	श्रेणी का नाम	ब्लॉक का नाम	बीट का नाम	गांव का नाम	देशांतर	अक्षांश
1	जीवनाल	देओन	मजहान	मजहान	77°-25'-47.91"	31°-47'-39.95"
2				मेल	77°-25'-1.23"	31°-47'-37.10"
3				लिचन	77°-25'-2.46"	31°-47'-9.68"
4				थचन	77°-25'-25.54"	31°-46'-55.18"
5				कटवारी	77°-26'-5.29"	31°-47'-36.79"
6			बह	चेंगा	77°-25'-51.99"	31°-46'-51.43"
7				बह	77°-25'-23.23"	31°-46'-50.21"
8				निहारनी	77°-24'-43.94"	31°-46'-54.09"
9				सरयारी	77°-23'-59.31"	31°-46'-58.13"
10				बनौगी	77°-23'-50.96"	31°-47'-35.21"
11				बरेथा	77°-23'-46.79"	31°-47'-23.25"
12				भजीमन	77°-23'-31.65"	31°-47'-25.52"
13				जोथा	77°-23'-39.48"	31°-46'-49.92"
14		कुनदेर	पशी	शरन	77°-18'-10.54"	31°-48'-52.75"
15				पशी	77°-19'-40.91"	31°-48'-29.52"
16				खन्यारी	77°-19'-56.8"	31°-48'-30.80"
17				खरोंगचा	77°-19'-51.8"	31°-49'-1"
18				नलती	77°-21'-10.97"	31°-48'-9.92"
19				कुन्देर	77°-21'-56.68"	31°-50'-6.14"
20				मजहान	77°-21'-43.77"	31°-50'-48.38"
21				मजहारना	77°-24'-8.77"	31°-49'-24.40"
22		कुन्देर	भुपन	भुपन	77°-18'-27.8"	31°-48'-40"
23				शरन	77°-18'-32.01"	31°-48'-22.1"
24				कमपटन	77°-18'-10.54"	31°-48'-52.75"
25		रैला	नेउली	नेउली	77°-22'-55.68"	31°-46'-21.43"
26				धरमेड़ा	77°-21'-11.05"	31°-46'-25.23"
27				करेहिला	77°-20'-10.4"	31°-47'-26.94"
28				जयालु	77°-21'-58.11"	31°-46'-24.11"
29				सतेश	77°-22'-28.08"	31°-46'-17.39"
30				गौद	77°-22'-56.56"	31°-46'-29.89"
31				केओली	77°-22'-48.83"	31°-46'-24.53"
32				बिहाली	77°-20'-0.09"	31°-47'-37.15"
33				नुनुरिबली	77°-21'-51.60"	31°-46'-3.30"
34		रैला	शंशेर	जंगला	77°-23'-23.63"	31°-46'-51.70"

35				सेरी	77°-23'-19.98"	31°-46'-51.16"
36				बंदलु दौर	77°-23'-15.17"	31°-46'-52.27"
37				भरोगी	77°-23'-1.58"	31°-46'-58.94"
38				रेहादा	77°-23'-11.23"	31°-46'-43.67"
39				रामाहीदी	77°-23'-4.24"	31°-46'-53.59"
40				पतहरा	77°-22'-53.67"	31°-47'-0.63"
41				छतरदाला	77°-22'-56.61"	31°-47'-10.1"
42				बजहरा	77°-22'-21.65"	31°-47'-11.62"
43				चनयादी	77°-23'-10.97"	31°-47'-15.52"
44				मनहरा	77°-23'-6.74"	31°-47'-24.07"
45				खैन	77°-23'-50.12"	31°-47'-31.93"
46				गुहीदी	77°-22'-37.03"	31°-47'-45.35"
47				दरथा	77°-22'-22.17"	31°-47'-48.75"
48				पचतैहरा	77°-22'-53.81"	31°-47'-0.59"
49				तहयाहरा	77°-22'-29.08"	31°-47'-30.19"
50				सिहान	77°-22'-9.86"	31°-47'-23.70"
51				दरीदरला	77°-22'-12.91"	31°-47'-47.20"
52				तुंघ	77°-22'-27.86"	31°-46'-52.25"
53				जलहरा	77°-22'-17.41"	31°-47'-15.33"
54				हरीनाल	77°-21'-59.26"	31°-47'-48.81"
55				बगीकशादी	77°-23'-23.36"	31°-48'-31.2"
56				पटल	77°-22'-34.13"	31°-47'-40.89"
57				शफादी	77°-21'-44"	31°-47'-0.40"
58				पचयारी	77°-22'-25.98"	31°-46'-44.71"
59				कथाल	77°-23'-28.41"	31°-48'-43.96"
60				सदोनी	77°-23'-40.54"	31°-48'-45.09"
61		रैला	सरन	सरन	77°-19'-42.62"	31°-47'-38.08"
62				घाट	77°-19'-13.8"	31°-47'-48.85"
63				मनझगरान	77°-19'-6.48"	31°-47'-44.04"
64				धलयाहरा	77°-18'-59.86"	31°-47'-31.47"
65				गोरन	77°-18'-58.02"	31°-47'-47.86"
66				घटसेरी	77°-19'-21.24"	31°-48'-1.02"
67				कथयारी	77°-19'-31.09"	31°-48'-0.3"
68				सैनधार	77°-19'-21.19"	31°-48'-1.03"
69				शेटीटील	77°-19'-21.97"	31°-47'-37.82"
70				सरोह	77°-19'-29.12"	31°-47'-42.38"
71				शिलर	77°-19'-26.17"	31°-47'-54"
72				असतान	77°-19'-13.61"	31°-47'-41.49"

73				छनचरा	77°-19'-38.94"	31°-47'-33.30"
74	**सैन्ज**	**मरोर**	**लपाह**	लपाह	77°-25'-41.96"	31°-46'-14.57"
75				धारा	77°-25'-31.15"	31°-46'-21.22"
76		**शंघर**	**बरशांघर**	तितरी	77°-23'-41.49"	31°-45'-32.09"
77				बरशांघर	77°-23'-59.65"	31°-44'-58.12"
78			**शंघर**	धगहरा	77°-22'-30.36"	31°-45'-23.23"
79				कटवाली	77°-22'-36.35"	31°-45'-25.33"
80				मदना	77°-22'-41.75"	31°-45'-37.20"
81				हुरचा	77°-22'-37.66"	31°-45'-47.47"
82				बिरशंघर	77°-22'-41.07"	31°-45'-57.23"
83				कहना	77°-23'-2.24"	31°-45'-51.33"
84				लेउली	77°-22'-55.22"	31°-46'-18.86"
85				धराली	77°-23'-10.79"	31°-45'-9.69"
86				गोशती	77°-23'-2.61"	31°-45'-20"
87				शेन्गचा	77°-23'-19.59"	31°-45'-20.35"
88				धरापतहरा	77°-22'-54.18"	31°-45'-26.35"
89				पतहरा	77°-22'-53.27"	31°-45'-32.01"
90				कोतलु	77°-23'-0.12"	31°-46'-8.91"
91				धारा	77°-22'-36.35"	31°-45'-25.33"
92				सुंदरनगर	77°-23'-27.25"	31°-44'-39.64"
93				लोहत	77°-22'-27.80"	31°-45'-43.34"
94			**सुचैन**	सुचैन	77°-21'-35.74"	31°-45'-15.17"
95				गरशैदा	77°-21'-43.72"	31°-45'-13.83"
96				नरवली	77°-21'-45.51"	31°-45'-23.81"
97				सेरी	77°-21'-30.20"	31°-45'-24.85"
98				पुपना	77°-21'-36.88"	31°-45'-30.29"
99				रोपा	77°-21'-39.73"	31°-45'-56.76"
100				मशला	77°-21'-43.65"	31°-45'-37.97"
101				तुंगरु	77°-21'-35.79"	31°-45'-37.45"
102				मेहरा	77°-21'-59.10"	31°-45'-16.99"
103	**तीर्थन**	**बथाद**	**चलोरी बीट**	कटलचा	77°-28'-5.52"	31°-35'-9.52"
104				शरुनगेर	77°-27'-9.97"	31°-35'-9.26"
105				दराज	77°-28'-12.9"	31°-35'-35.90"
106				शिल्ल	77°-27'-53.7"	31°-35'-8.83"
107				गरुली	77°-26'-6.4"	31°-35'-9.22"
108				परवारी	77°-26'-7.12"	31°-36'-13.4"
109				भुनजट	77°-26'-19.6"	31°-36'-46.8"
110				कनधारी	77°-25'-7.29"	31°-36'-6.23"
111				थाटा	77°-27'-8.3"	31°-36'-18.3"

112		**बथाद**	**मशियार**	बथाद	77°-28'-55.8"	31°-36'-2.2"
113				सरुत	77°-29'-8.6"	31°-35'-43.60"
114				घलयाद	77°-29'-56.7"	31°-36'-14"
115				तिल्ला	77°-30'-11.5"	31°-36'-22.5"
116				थानेगड़	77°-30'-3.5"	31°-36'-45.5"
117				मशयार	77°-30'-29.8"	31°-36'-48"
118				मझाली	77°-30'-29.8"	31°-36'-48"
119				कमदा	77°-30'-44.6"	31°-36'-57.8"
120				घलिंगचा	77°-30'-57.4"	31°-36'-34.6"
121				कंधी	77°-30'-40.3"	31°-36'-55.2"
122				धदीन्गचा	77°-30'-27.3"	31°-36'-22.9"
123		**बथाद**	**बथाद**	रिखली	77°-26'-23.8"	31°-37'-8.63"
124				बग्गरजानी	77°-26'-31.1"	31°-37'-8.85"
125				मनोनी	77°-26'-45"	31°-37'-8.36"
126				नरला	77°-26'-60.4"	31°-37'-6.54"
127				धारा शलिंगा	77°-27'-6.4"	31°-37'-7.4"
128				भलयाथेर	77°-27'-34.7"	31°-36'-37.4"
129				धार	77°-26'-26.7"	31°-37'-36.5"
130				फरयादी	77°-26'-26.6"	31°-37'-32.5"
131				बरनागी	77°-27'-25.9"	31°-36'-35"
132				बथाद	77°-28'-51.6"	31°-36'-5.6"
133				रंगचा नाल	77°-28'-36"	31°-36'-11.2"
134				बुझार	77°-28'-9.5"	31°-36'-17.5"
135				दलयाला	77°-28'-1"	31°-36'-27.3"
136				धमनाल	77°-27'-58.4"	31°-36'-24.7"
137				तुंग	77°-27'-42.1"	31°-36'-31.7"
138				बेहाली	77°-26'-48.3"	31°-37'-3.4"
139				नगधार	77°-28'-14.3"	31°-36'-27.7"
140				धराल	77°-28'-47.5"	31°-36'-10.4"
141				नैनी	77°-28'-16.5"	31°-36'-56.2"
142				मझतान	77°-28'-40"	31°-36'-56.6"
143				चिपीनी	77°-28'-51.3"	31°-36'-51.1"
144		**गुशैनी**	**गुशैनी**	दरी	77°-24'-40"	31°-38'-44"
145				छमनी	77°-26'-24.55"	31°-38'-58.90"
146				जबाल	77°-24'-8.4"	31°-35'-51.9"
147				नगलारी	77°-25'-23.7"	31°-38'-36.80"
148				गुशैनी	77°-25'-6.1"	31°-38'-27.2"
149				धार	77°-28'-21.6"	31°-40'-45.90"
150				शुन्गचा	77°-27'-7.62"	31°-40'-8.29"

151				दरान	77°-27'-8.57"	31°-40'-29.20"
152				गनधार	77°-26'-9.19"	31°-39'-27.6"
153				शलिंगा	77°-27'-0.7"	31°-39'-48.6"
154				तलिंगा	77°-27'-20.5"	31°-39'-51.2"
155				कुलथी	77°-25'-7.55"	31°-38'-54.8"
156				रुपजानी	77°-25'-9.87"	31°-38'-48.7"
157				पेखारी	77°-25'-8.15"	31°-38'-9.59"
158				बरहुली	77°-25'-8.82"	31°-39'-35.3"
159				लगचा	77°-26'-26.6"	31°-39'-49.8"
160				घाट	77°-26'-7.80"	31°-40'-12.3"
161				बाईती	77°-26'-8.46"	31°-39'-9.37"
162				नाही	77°-26'-6.92"	31°-39'-55.1"
163				नदाहर	77°-24'-8.85"	31°-39'-0.59"
164				नदाहारा	77°-24'-2.08"	31°-38'-9.5"
165				मनहर	77°-26'-23.40"	31°-38'-7.76"
166		**गुशैनी**	**तिंदेर**	कौनचा उपेर	77°-27'-19.20"	31°-39'-4.60"
167				कौनचा	77°-27'-19.20"	31°-39'-18.01"
168				खरोनगचा	77°-28'-21.1"	31°-39'-50.1"
169				दिनगचा	77°-27'-40.9"	31°-39'-12.5"
170				झलेहरी	77°-27'-42.1"	31°-39'-5.7"
171				तिंदेर	77°-27'-4.9"	31°-38'-50.1"
172				थारी	77°-27'-42.3"	31°-39'-9.7"
173				ब्रिनगचा	77°-26'-51.3"	31°-38'-21.2"
174				झनयार	77°-26'-42.3"	31°-38'-26"
175				बरेलंगा	77°-26'-25.8"	31°-38'-16.4"
176				रोपा	77°-27'-11.9"	31°-38'-44.6"
177		**गुशैनी**	**श्रीकोट**	अनाह	77°-24'-53.4"	31°-40'-48.6"
178				शेरेरा	77°-24'-59.9"	31°-40'-58.9"
179				धारा	77°-24'-9.51"	31°-41'-51.01"
180				हुरी	77°-24'-9.53"	31°-41'-50.3"
181				गहीधर	77°-23'-26.8"	31°-39'-7.33"
182				रगूत	77°-24'-21.8"	31°-40'-40"
183				कनोन	77°-24'-30"	31°-40'-29.8"
184				शनर	77°-23'-57.4"	31°-40'-8.29"
185				देहुरी	77°-22'-9.58"	31°-38'-38.2"
186				थनच	77°-24'-16.6"	31°-40'-8.02"
187				पेचकना	77°-23'-9.1"	31°-40'-9.92"

उपाबंध- III

ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेंज अभयारण्य और तीर्थन अभयारण्य आते हैं, पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

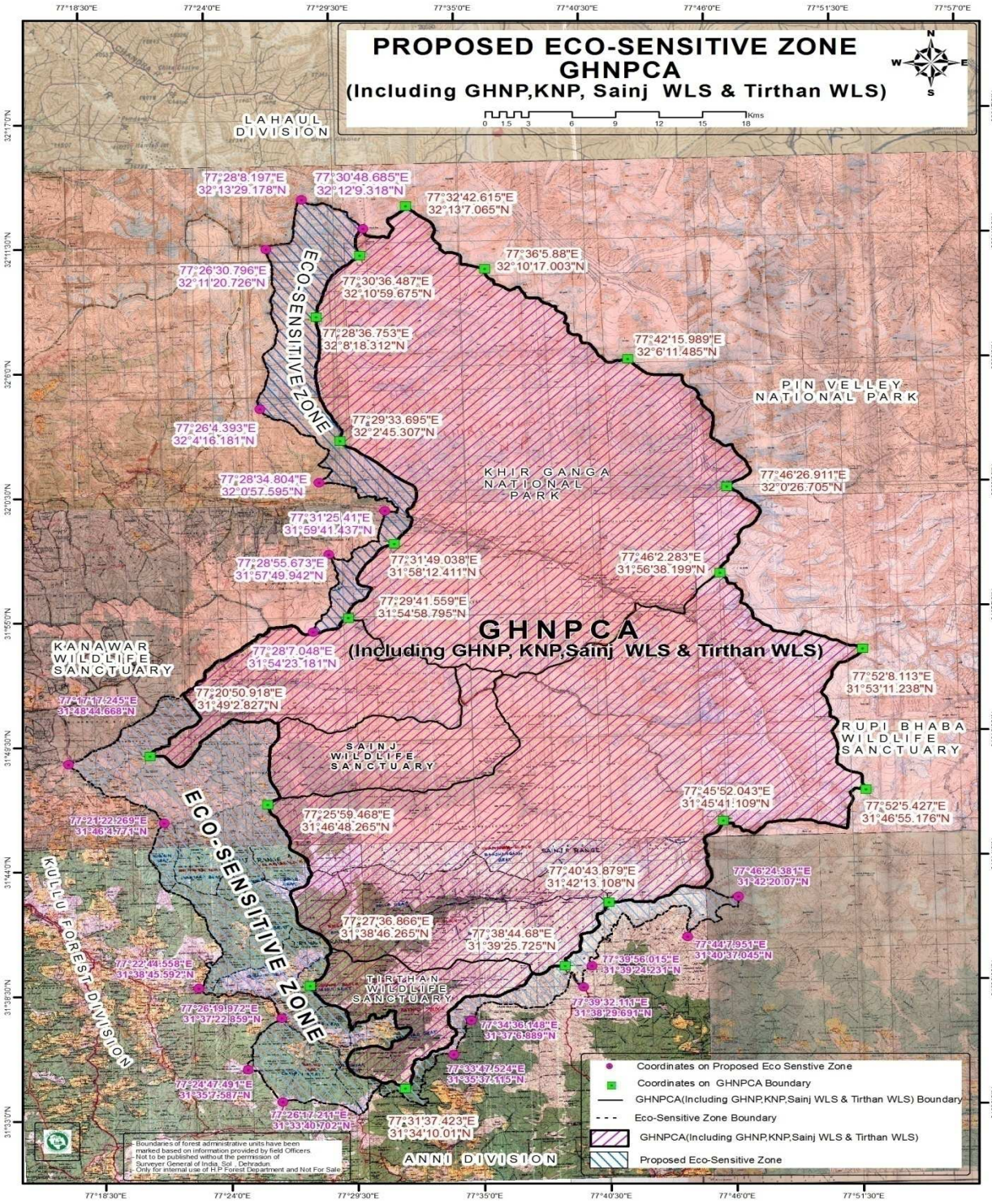

उपाबंध-III क

ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, जिसके अंतर्गत ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, सेंज अभयारण्य और तीर्थन अभयारण्य आते हैं, के चारों कोनों के भू-निर्देशांक

दिशा	देशांतर	अक्षांश	अवस्थान
उत्तर	77°-28'-8.197"	32°-13'-29.178"	कुल्लू और लहुल एवं स्पीति की जिला सीमा
पूर्व	77°-46'-24.381"	31°-42'-20.07"	शिमला और किन्नौर एस ओ आई निर्देश चिन्ह 5322 मीटर की जिला सीमा
दक्षिण	77°-17'-18"	31°-33'-4"	चुल संरक्षित वन, मनदराव संरक्षित वन और बंग संरक्षित वन की वन सीमाएं
पश्चिम	77°-17'-17.245"	31°-48'-46.668"	टीवा संरक्षित वन, सरनगर संरक्षित वन और निहारगहर संरक्षित वन के एस. ओ. आई. निर्देश चिन्ह 3236 मीटर वन सीमा

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2016

S.O. 2628(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in.

Draft Notification

WHEREAS, the Great Himalayan National Park Conservation Area which covers Great Himalayan National Park, Khirganga National Park, Sainj Sanctuary and Tirthan Sanctuary is located about 240 kilometers from Shimla and 72 kilometers from Kullu in Kullu District, Himachal Pradesh and is spread over an area of 1615.40 square kilometers.

AND WHEREAS, the key species found in the said Sanctuary are Western Tragopan, Himalayan Monal, Cheer pheasant, Kaleej,Goral, Koklash,Musk deer, Blue sheep, Himalayan tahr, Snow leopard, Common leopard, Himalayan black bear, Brown bear, Yellow throated marten and Flying squirrel etc;

AND WHEREAS, Deodar, Blue pine, Cypress, Chilpine, Silver fir, Spruce and Taxus are among conifers and Quercus incana, Q. delatata, Q. semicarpifolia, Celtis australis, Horse chestnut, Walnut, Maple, Prunus, Alder, Birch, Ash, Cedrella serrata, Populus, Salix are among broad-leaved species and some of the commercial value herbs are Balchhar, Dhoop, Glaeoda, Guchhi, Hathpanja, Karoo, Mehndi, Nihanoo, Patish and Shingli mingli.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Great Himalayan National Park Conservation Area which covers Great Himalayan National Park, Khirganga National Park, Sainj Sanctuary and Tirthan Sanctuary as Eco-sensitive zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 500 meters to 6 kilo mete around the boundary of Great Himalayan National Park Conservation Area which covers Great Himalayan National Park, Khirganga National Park, Sainj Sanctuary and Tirthan Sanctuary of the Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone is 417 square kilo meters with an extent upto 6 kilometers around the Great Himalayan National Park Conservation Area which covers Great Himalayan National Park, Khirganga National Park, Sainj Sanctuary and Tirthan Sanctuary except Eastern side, North-Eastern side

and Northern side, due to three sanctuary are connected in these sides namely, Rupi Bhabha Wildlife Sanctuary, Pin Valley National Park and Kanawar Wildlife Sanctuary and the boundary description of such zone is given in **Annexure-I.**

(2) The list of 187 villages and their GPS co-ordinates falling under the said Eco-sensitive Zone is annexed as **Annexure-II**.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-III**.

(4) The GPS coordinates are given in **Annexure-III A.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with the local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment,

(ii) Forest,

(iii) Urban Development,

(iv) Tourism,

(v) Municipal,

(vi) Revenue,

(vii) Agriculture,

(viii) Himachal Pradesh State Pollution Control Board,

(ix) Irrigation, and

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10,20,26,36 and 37 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.

(iii) Small scale industries not causing pollution,

(iv) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities, and

(v) Rainwater harvesting:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan;

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, in consultation with the Department of Forests and Environment of the State Government;

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Great Himalayan National Park Conservation Area which covers Great Himalayan National Park, Khirganga National Park, Sainj Sanctuary and Tirthan Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc., shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Himachal Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of major thermal and hydro-electric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Fishing.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.

8.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be allowed only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
Regulated activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. Provided that, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: (b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-Sensitive Zone, construction for *bone fide* local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Regulated under applicable laws.
13.	Discharge of treated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution.	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water.	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior

		permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests, the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Recycling of Bio degradable material.	Regulated under applicable laws.
19.	Insulation of electric lines.	Promote underground cabling.
20..	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
21.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter. Any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
22.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
23.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
24.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated under applicable laws.
25.	Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
26.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
27.	Collection of Non-timber forest products	Regulated under applicable laws.
28.	Trekking and camping.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws.
30.	Protection of hill slopes and river banks.	No construction activity unless otherwise permitted under the Zonal Master Plan shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallah.
31.	Solid Waste Management.	Regulated under applicable laws.
32.	Eco-Tourism.	Regulated under applicable laws.
Promoted activities		
33.	Ongoing agriculture practices, plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
36.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
37.	Snow or Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.

38.	Use of renewable energy sources.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation and other forestry activity.	Shall be actively promoted.
40.	Agro Foresty.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

(i)	Conservator of Forests, Great Himalayan National Park	Chairman;
(ii)	One representative of Non-Governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years	Member
(iii)	An expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Himachal Pradesh for a period of three years	Member;
(iv)	Representative Himachal Pradesh Pollution Control Board	Member;
(v)	Senior Town Planner of the area	
(vi)	Divisional Forest Officer, Rampur	Member;
(vii)	Divisional Forest Officer, Ani	Member;
(viii)	Representative State Bio Diversity Board	Member;
(ix)	Divisional Forest Officer, Great Himalayan National Park, Shamshi	Member-Secretary;

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned ark in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

(9) The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

6. The provisions of this notification are subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/13/2016-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'A'

ANNEXURE-I

Boundary details of Great Himalayan National Park Conservation Area which covers Great Himalayan National Park, Khirganga National Park, Sainj Sanctuary and Tirthan Sanctuary

North:- The boundary start from the district boundary of Kullu and Lahul and Spiti Ridge dividing Malana Nala and Tosh Nala boundary moves along district boundary Kullu and Lahul and Spiti SOI bench mark 5539m, 5890m, 5595m upto Sara Umga Pass.

East:- The boundary start from the Sara Umga Pass boundary moves along the western boundary of Great Himalayan National Park to SOI bench Mark 4768m Eco-sensitive Zone boundary of Kanawar Wildlife Sanctuary and boundary again start from the western boundary of Great Himalayan National Park north eastern side of Drashar

Thach boundary moves western boundary of Great Himalayan National Park, western boundary of Sainj Wildlife sanctuary to Sainj river SOI bench1890m then boundary moves the western boundary of Great Himalayan National Park, western , southern and eastern boundary of Tirthan Wildlife Sanctuary and southern boundary of Great Himalayan National Park to Gushu Pishu boundary moves District boundary of Shimla and Kinnaur upto Danpal SOI bench 5322m.

South:- The boundary start from Danpal SOI bench 5322m boundary moves down stream with a small nala and join 4600m contour moves along the contour to District boundary of Kullu and Shimla the boundary moves along the District boundary, eastern boundary of Danda PF Join Umli Gad then Moves along path GadaRopa, Kunsha to 4000m contour then boundary moves down stream with a small nala and join the eastern and southern Dwaridanda PF to 3200m contour and then follow the path to 3000m contour and join the northern boundary of Rachhokhari PF boundary moves the western boundary Rachhokhari PF, basleo Pass, Southern boundary of Basleo PF Bung PF and Shirdunga PF Bhunjat PF upto Janjai Galu.

West:- Tha boundary start from the Jinjai Galu the boundary moves down stream with Chotri Nala Join Palachan Gad moves down stream with Palachan Gad to Gushaini join Tirthan river down stream with the River the Confluences of Tirthan river and Kalwari Nala boundary moves upward with Kalwari Nala to Thani Galu boundary moves down stream with Nuhara Gad join Sainj river to confluences of Sainj river and Jiwa Nala boundary moves upward with Jiwa Nala the western of Sharan village boundary moves upward with a small nala north east boundary of Railah village the boundary moves upward ridge and western boundary of Tiwa PF to SOI bench mark 3236m boundary moves along the ridge SOI bench mark 3324m, LaruDhar, SOI bench mark 3592m, Kasal Dhar, SOI bench mark 3445m, Drashar Dhar to the western boundary of Great Himalayan National Park north eastern side of Drashar Thach. The boundary again start from the SOI bench mark 4768m boundary moves downward the ridge and join the Jigral Nal moves down stream to 4200m contour then follow the contour boundary moves down stream with a small Nala between Saraji Thach and Dhara Thach join Parbati river and boundary moves upward with Parbati river to a small northern side of Dhara Thach boundary moves upward the nala then follow the 3400m. contouraand down stream with a small nall join Tosh Nal boundary moves upward with Tosh nal to western side of Wan Shil Thach then boundary moves upward with small nala SOI bench mark 4519m then boundary moves along Dhar SOI bench mark 5003m Papi Dharmi Chura , Soi bench mark 5429m Ali Ratni Dhad ,Ali Ratni Tibba, SOI bench mark 5313m, 5064m, 5269m,5486m, 5524m upto the district boundary of Kullu & Lahul & Spiti dividing water catchment Malana Nala and Tosh Nala.

ANNEXURE-II

Detail of Villages within the Eco-sensitive Zone

Serial Number.	Name of Range	Name of Block	Name of Beat	Name of village	**Longitude**	**Latitude**
1	Jiwanal	Deun	Majhan	Majhan	77°-25'-47.91"	31°-47'-39.95"
2				Mail	77°-25'-1.23"	31°-47'-37.10"
3				Litchen	77°-25'-2.46"	31°-47'-9.68"
4				Thachan	77°-25'-25.54"	31°-46'-55.18"
5				Katwari	77°-26'-5.29"	31°-47'-36.79"
6			Bah	Chenga	77°-25'-51.99"	31°-46'-51.43"
7				Bah	77°-25'-23.23"	31°-46'-50.21"
8				Niharni	77°-24'-43.94"	31°-46'-54.09"
9				Saryari	77°-23'-59.31"	31°-46'-58.13"
10				Banaugi	77°-23'-50.96"	31°-47'-35.21"
11				Bretha	77°-23'-46.79"	31°-47'-23.25"
12				Bhajiman	77°-23'-31.65"	31°-47'-25.52"
13				Jotha	77°-23'-39.48"	31°-46'-49.92"
14		Kunder	Pashi	Sharan	77°-18'-10.54"	31°-48'-52.75"
15				Pashi	77°-19'-40.91"	31°-48'-29.52"
16				Khanyari	77°-19'-56.8"	31°-48'-30.80"
17				Kharongcha	77°-19'-51.8"	31°-49'-1"
18				Nalti	77°-21'-10.97"	31°-48'-9.92"
19				Kunder	77°-21'-56.68"	31°-50'-6.14"
20				Majhan	77°-21'-43.77"	31°-50'-48.38"
21				Majharna	77°-24'-8.77"	31°-49'-24.40"
22		Kunder	Bhupan	Bhupan	77°-18'-27.8"	31°-48'-40"
23				Sharan	77°-18'-32.01"	31°-48'-22.1"
24				Kamptan	77°-18'-10.54"	31°-48'-52.75"
25		Raila	Neuli	Neuli	77°-22'-55.68"	31°-46'-21.43"
26				Dharmeda	77°-21'-11.05"	31°-46'-25.23"
27				Karehila	77°-20'-10.4"	31°-47'-26.94"
28				Jyalu	77°-21'-58.11"	31°-46'-24.11"
29				Satesh	77°-22'-28.08"	31°-46'-17.39"
30				Goad	77°-22'-56.56"	31°-46'-29.89"
31				Keoli	77°-22'-48.83"	31°-46'-24.53"
32				Bihali	77°-20'-0.09"	31°-47'-37.15"
33				Nunuribali	77°-21'-51.60"	31°-46'-3.30"
34		Raila	Shansher	Jungla	77°-23'-23.63"	31°-46'-51.70"
35				Seri	77°-23'-19.98"	31°-46'-51.16"
36				bandlu Duar	77°-23'-15.17"	31°-46'-52.27"
37				Bharogi	77°-23'-1.58"	31°-46'-58.94"
38				Rehada	77°-23'-11.23"	31°-46'-43.67"
39				Ramahidi	77°-23'-4.24"	31°-46'-53.59"
40				Patahra	77°-22'-53.67"	31°-47'-0.63"
41				Chhatardala	77°-22'-56.61"	31°-47'-10.1"
42				Bajahra	77°-22'-21.65"	31°-47'-11.62"
43				Chanyadi	77°-23'-10.97"	31°-47'-15.52"
44				Manahra	77°-23'-6.74"	31°-47'-24.07"
45				Khain	77°-23'-50.12"	31°-47'-31.93"
46				Guhidi	77°-22'-37.03"	31°-47'-45.35"

47				Dartha	77°-22’-22.17"	31°-47’-48.75”
48				Pachtyahra	77°-22’-53.81"	31°-47’-0.59”
49				Tahyahra	77°-22’-29.08"	31°-47’-30.19”
50				Sihan	77°-22’-9.86"	31°-47’-23.70”
51				Daridarla	77°-22’-12.91"	31°-47’-47.20”
52				Tungh	77°-22’-27.86"	31°-46’-52.25”
53				Jalahra	77°-22’-17.41"	31°-47’-15.33”
54				Harinal	77°-21’-59.26"	31°-47’-48.81”
55				Bagikshadi	77°-23’-23.36"	31°-48’-31.2”
56				Patal	77°-22’-34.13"	31°-47’-40.89”
57				Shafadi	77°-21’-44"	31°-47’-0.40”
58				Pachyari	77°-22’-25.98"	31°-46’-44.71”
59				Kathal	77°-23’-28.41"	31°-48’-43.96”
60				Sadoni	77°-23’-40.54"	31°-48’-45.09”
61		Raila	Saran	Saran	77°-19’-42.62"	31°-47’-38.08”
62				Ghat	77°-19’-13.8"	31°-47’-48.85”
63				Manjhgran	77°-19’-6.48"	31°-47’-44.04”
64				Dhalyahra	77°-18’-59.86"	31°-47’-31.47”
65				Goran	77°-18’-58.02"	31°-47’-47.86”
66				Ghatseri	77°-19’-21.24"	31°-48’-1.02”
67				Kathyari	77°-19’-31.09"	31°-48’-0.3”
68				Saindhar	77°-19’-21.19"	31°-48’-1.03”
69				Shetitol	77°-19’-21.97"	31°-47’-37.82”
70				Saroh	77°-19’-29.12"	31°-47’-42.38”
71				Shilar	77°-19’-26.17"	31°-47’-54”
72				Astan	77°-19’-13.61"	31°-47’-41.49”
73				Chhanchra	77°-19’-38.94"	31°-47’-33.30”
74	**Sainj**	**Maror**	**Lapah**	Lapah	77°-25’-41.96"	31°-46’-14.57”
75				Dhara	77°-25’-31.15"	31°-46’-21.22”
76		**Shanghar**	**Barshanghar**	Titri	77°-23’-41.49"	31°-45’-32.09”
77				Barshanghar	77°-23’-59.65"	31°-44’-58.12”
78			**Shanghar**	Dhaghra	77°-22’-30.36"	31°-45’-23.23”
79				Katwali	77°-22’-36.35"	31°-45’-25.33”
80				Madana	77°-22’-41.75"	31°-45’-37.20”
81				Hurcha	77°-22’-37.66"	31°-45’-47.47”
82				Birashanghar	77°-22’-41.07"	31°-45’-57.23”
83				Kahna	77°-23’-2.24"	31°-45’-51.33”
84				Neuli	77°-22’-55.22"	31°-46’-18.86”
85				Dharali	77°-23’-10.79"	31°-45’-9.69”
86				Goshti	77°-23’-2.61"	31°-45’-20”
87				Shengcha	77°-23’-19.59"	31°-45’-20.35”
88				Dharapatahra	77°-22’-54.18"	31°-45’-26.35”
89				Patahra	77°-22’-53.27"	31°-45’-32.01”
90				Kotlu	77°-23’-0.12"	31°-46’-8.91”
91				Dhara	77°-22’-36.35"	31°-45’-25.33”
92				Sundernager	77°-23’-27.25"	31°-44’-39.64”
93				Lohat	77°-22’-27.80"	31°-45’-43.34”
94			**Suchain**	Suchain	77°-21’-35.74"	31°-45’-15.17”
95				Garshaida	77°-21’-43.72"	31°-45’-13.83”
96				Narvali	77°-21’-45.51"	31°-45’-23.81”

97				Seri	77°-21’-30.20"	31°-45’-24.85”
98				Pupna	77°-21’-36.88"	31°-45’-30.29”
99				Ropa	77°-21’-39.73"	31°-45’-56.76”
100				Mashla	77°-21’-43.65"	31°-45’-37.97”
101				Tungru	77°-21’-35.79"	31°-45’-37.45”
102				Mehra	77°-21’-59.10"	31°-45’-16.99”
103	**Tirthan**	**Bathad**	**Chalori Beat**	Katalcha	77°-28’-5.52"	31°-35’-9.52”
104				Sharunger	77°-27’-9.97"	31°-35’-9.26”
105				Daraj	77°-28’-12.9"	31°-35’-35.90”
106				Shill	77°-27’-53.7"	31°-35’-8.83”
107				Garuli	77°-26’-6.4"	31°-35’-9.22”
108				Parwari	77°-26’-7.12"	31°-36’-13.4”
109				Bhunjat	77°-26’-19.6"	31°-36’-46.8”
110				Kandhari	77°-25’-7.29"	31°-36’-6.23”
111				Thata	77°-27’-8.3"	31°-36’-18.3”
112		**Bathad**	**Mashiyar**	Bathad	77°-28’-55.8"	31°-36’-2.2”
113				Sarut	77°-29’-8.6"	31°-35’-43.60”
114				Ghalayad	77°-29’-56.7"	31°-36’-14”
115				Tilla	77°-30’-11.5"	31°-36’-22.5”
116				Thanegad	77°-30’-3.5"	31°-36’-45.5”
117				Mashyar	77°-30’-29.8"	31°-36’-48”
118				Majhali	77°-30’-29.8"	31°-36’-48”
119				Kamada	77°-30’-44.6"	31°-36’-57.8”
120				Ghalingcha	77°-30’-57.4"	31°-36’-34.6”
121				Kandhi	77°-30’-40.3"	31°-36’-55.2”
122				Ghadingcha	77°-30’-27.3"	31°-36’-22.9”
123		**Bathad**	**Bathad**	Rikhli	77°-26’-23.8"	31°-37’-8.63”
124				Baggrajani	77°-26’-31.1"	31°-37’-8.85”
125				Manoni	77°-26’-45"	31°-37’-8.36”
126				Narala	77°-26’-60.4"	31°-37’-6.54”
127				Dhara Shalinga	77°-27’-6.4"	31°-37’-7.4”
128				Bhalayather	77°-27’-34.7"	31°-36’-37.4”
129				Dhar	77°-26’-26.7"	31°-37’-36.5”
130				Farayadi	77°-26’-26.6"	31°-37’-32.5”
131				Barnagi	77°-27’-25.9"	31°-36’-35”
132				Bathad	77°-28’-51.6"	31°-36’-5.6”
133				Rangcha Nal	77°-28’-36"	31°-36’-11.2”
134				Bujhar	77°-28’-9.5"	31°-36’-17.5”
135				Dalayala	77°-28’-1"	31°-36’-27.3”
136				Dhamanal	77°-27’-58.4"	31°-36’-24.7”
137				Tung	77°-27’-42.1"	31°-36’-31.7”
138				Behali	77°-26’-48.3"	31°-37’-3.4”
139				Nagdhar	77°-28’-14.3"	31°-36’-27.7”
140				Dharal	77°-28’-47.5"	31°-36’-10.4”
141				Naini	77°-28’-16.5"	31°-36’-56.2”
142				Majhatan	77°-28’-40"	31°-36’-56.6”
143				Chipini	77°-28’-51.3"	31°-36’-51.1”
144		**Gushaini**	**Gushaini**	Dari	77°-24’-40"	31°-38’-44”
145				Chhamni	77°-26’-24.55"	31°-38’-58.90”
146				Jabal	77°-24’-8.4"	31°-35’-51.9”
147				Naglari	77°-25’-23.7"	31°-38’-36.80”

148				Gushaini	77°-25’-6.1"	31°-38’-27.2”
149				Dhar	77°-28’-21.6"	31°-40’-45.90”
150				Shungcha	77°-27’-7.62"	31°-40’-8.29”
151				Daran	77°-27’-8.57"	31°-40’-29.20”
152				Gandhar	77°-26’-9.19"	31°-39’-27.6”
153				Shalinga	77°-27’-0.7"	31°-39’-48.6”
154				Talinga	77°-27’-20.5"	31°-39’-51.2”
155				Kulthi	77°-25’-7.55"	31°-38’-54.8”
156				Rupajani	77°-25’-9.87"	31°-38’-48.7”
157				Pekhari	77°-25’-8.15"	31°-38’-9.59”
158				Barhuli	77°-25’-8.82"	31°-39’-35.3”
159				Lagcha	77°-26’-26.6"	31°-39’-49.8”
160				Ghat	77°-26’-7.80"	31°-40’-12.3”
161				Byti	77°-26’-8.46"	31°-39’-9.37”
162				Nahi	77°-26’-6.92"	31°-39’-55.1”
163				Nadahr	77°-24’-8.85"	31°-39’-0.59”
164				Nadahara	77°-24’-2.08"	31°-38’-9.5”
165				Manhar	77°-26’-23.40"	31°-38’-7.76”
166		**Gushaini**	**Tinder**	Kuauncha uper	77°-27’-19.20"	31°-39’-4.60”
167				Kauncha	77°-27’-19.20"	31°-39’-18.01”
168				Kharongcha	77°-28’-21.1"	31°-39’-50.1”
169				Dingcha	77°-27’-40.9"	31°-39’-12.5”
170				Jhalehari	77°-27’-42.1"	31°-39’-5.7”
171				Tinder	77°-27’-4.9"	31°-38’-50.1”
172				Thari	77°-27’-42.3"	31°-39’-9.7”
173				Bringcha	77°-26’-51.3"	31°-38’-21.2"
174				Jhanyar	77°-26’-42.3"	31°-38’-26"
175				Brelanga	77°-26’-25.8"	31°-38’-16.4"
176				Ropa	77°-27’-11.9"	31°-38’-44.6"
177		**Gushaini**	**Shrikot**	Anah	77°-24’-53.4"	31°-40’-48.6"
178				Sherera	77°-24’-59.9"	31°-40’-58.9"
179				Dhara	77°-24’-9.51"	31°-41’-51.01"
180				Huri	77°-24’-9.53"	31°-41’-50.3"
181				Gahidhar	77°-23’-26.8"	31°-39’-7.33"
182				Ragoot	77°-24’-21.8"	31°-40’-40"
183				Kanon	77°-24’-30"	31°-40’-29.8"
184				Shanar	77°-23’-57.4"	31°-40’-8.29"
185				Dehuri	77°-22’-9.58"	31°-38’-38.2"
186				Thanach	77°-24’-16.6"	31°-40’-8.02"
187				Pechkana	77°-23’-9.1"	31°-40’-9.92"

ANNEXURE-III

Map of Great Himalayan National Park Conservation Area which covers Great Himalayan National Park, Khirganga National Park, Sainj Sanctuary and Tirthan Sanctuary Eco-sensitive Zone

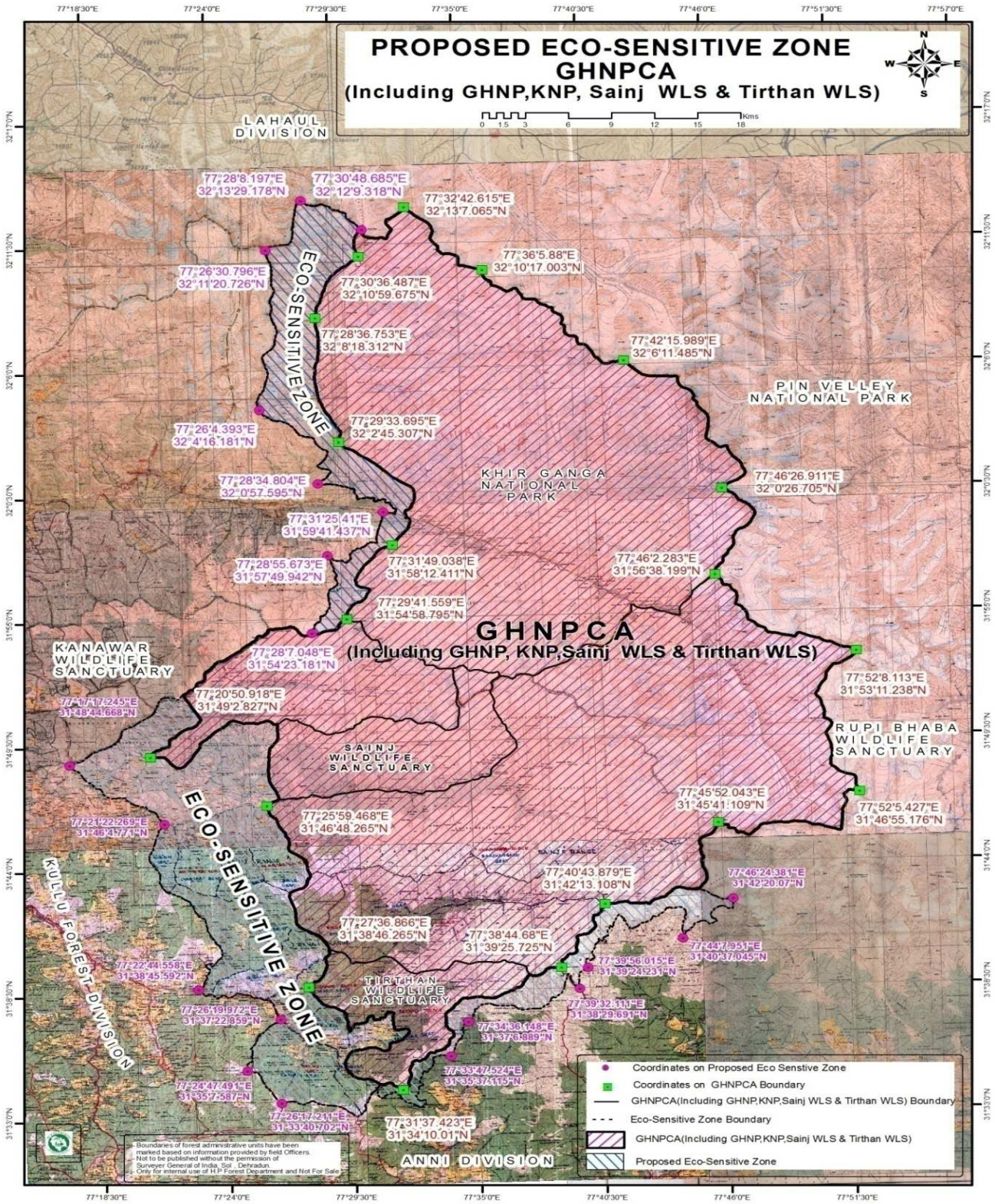

Annexure-III A

Geo-co-ordinates at Four Corners of Great Himalayan National Park Conservation Area which covers Great Himalayan National Park, Khirganga National Park, Sainj Sanctuary and Tirthan Sanctuary

Direction	Longitude	Latitude	Location
North	77°-28'-8.197"	32°-13'-29.178"	District boundary of Kullu and Lahul & Spiti.
East	77°-46'-24.381"	31°-42'-20.07"	District boundary Shimla and Kinnaur Danpal SOI bench mark 5322m
South	77°-17'-18"	31°-33'-4"	Forest boundaries of Chul PF,Mandrao PF and Bung PF.
West	77°-17'-17.245"	31°-48'-46.668"	S.O.I. bench mark 3236m Forest boundary of Tiwa PF, Sarangar PF and Nihargahr RF

ANNEXURE-IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise);[Details may be attached as Annexure].
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006; [Details may be attached as separate Annexure].
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006;[Details may be attached as separate Annexure].
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.